

भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम ई मेल संख्या

दूरभाष न० आधार कार्ड न० बैंक खाता सं०

बैंक का नाम बैंक शाखा IFSC code No.....

संलग्नक - 'ड'

उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था : सैनिक विधवाओं के द्वारा पुनर्विवाह अनुदान हेतु आवेदन पत्र।

1. पूर्व सैनिक का : न०..... पद..... नाम
2. पता : ग्राम..... पोस्ट..... तहसील जिला.....(उत्तराखण्ड).
2. रेजीमन्ट का नाम : 3. सेवाकाल की अवधि : से..... तक.
4. पूर्व सैनिक की मृत्यु की तारीख..... 5. मृत्यु का कारण
6. पूर्व सैनिक विधवा का नाम 7. पूर्व सैनिक विधवा की जन्मतिथि :.....
8. पूर्व सैनिक विधवा की पुनर्विवाह की तारीख : 9. पुनर्विवाहित पति का नाम
10. वर्तमान पता: ग्राम पोस्ट तहसील जिला राज्य.....
11. सैनिक विधवा की मासिक पेंशन /-पति की मासिक आय रु० /- व्यवसाय
12. अन्य संस्था/संस्थान से प्राप्त पुनर्विवाह अनुदान का विवरण :- हां/ नहीं

13. मेरे द्वारा आवेदन में लिखा गया उक्त विवरण सत्य है तथा उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैंने किसी अन्य संस्थानों से उक्त अनुदान हेतु आवेदन नहीं किया है तथा आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त की है। **उक्त आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु मेरे को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।**

(रु० 1/- की प्राप्ति रशीद)

दिनांक :

पूर्व सैनिक विधवा के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

2

14. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पूर्व सैनिक विधवा ने दि० को श्री पुत्र श्री के साथ पुनर्विवाह किया है जिसकी मैं स्वयम् पुष्टि करता/करती हूँ।

दिनांक :

(ग्राम/क्षेत्र पंचायत विकास अधिकारी/सरपंच/सभासद/पार्षद के हस्ताक्षर मोहर सहित)।

15. प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व सैनिक के सभी दस्तावेज एवं उक्त विवरण मेरे द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से जाँच कर लिये गये हैं जो कि हर दृष्टि से सम्पूर्ण एवं सही पाये गये हैं।

16. आवेदक ने केवल एक बार ही उक्त अनुदान हेतु आवेदन किया है तथा किसी अन्य संस्थानों से अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

दिनांक :

(जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित)

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है :-

1. सैनिक विधवा की पहचान पत्र की सत्यापित प्रति। 2. विधवा का पूर्व सैनिक से सम्बन्धित आश्रित प्रमाण पत्र/डिस्चार्ज बुक की छाया प्रति।
3. सैनिक विधवा तथा पति जिसके साथ पुनर्विवाह किया है, दोनों पक्षों की जन्मतिथि मिलान हेतु कक्षा 10 का शैक्षिक प्रमाण पत्र।
4. दोनों पक्षों (वधु व वर की शादी का निमन्त्रण कार्ड,। 5. पूर्व सैनिक का मृत्यु प्रमाण पत्र।
6. रजिस्ट्रार द्वारा जारी अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम-2010 प्रमाण पत्र।